न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—339/2019/223 (2019/00339)

1. हरदेव पुत्र स्व0 चम्पा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी गली संख्या 5—डी, न्यू गोविन्द नगर,रामगंज, अजमेर ।
2. रामदेव पुत्र स्व0 चम्पा, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 मकान संख्या 906/22, साकेत नगर, रामगंज पुलिस थाने के पीछे, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. देवा पुत्र चम्पा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाबूथान, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 मकान नं0 910/22, साकेत नगर, रामगंज पुलिस थाने के पीछे, रामगंज, अजमेर ।

वादी/रेस्पोडेंटस

2. बिशनलाल पुत्र स्व0 नानू, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 विजयनगर रोड़, दादाबाडी के सामने, ब्यावर, तह ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. शीला पत्नि स्व0 बंशी, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 1236—बी श्रीनाथपूरम, वार्ड संख्या 4, कोटा, तह. एवं जिला कोटा ।
4. मोनू पुत्र स्व0 बंशी, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम पाबूथान, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 1236—बी, श्रीनाथपूरम, वार्ड सं0 4 कोटा, तह0 कोटा, जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 2.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 206/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एव अंतिम डिक्री दिनांक 2.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 71 खसरा संख्या 291 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 292 रकबा 0.14 है0, खसरा संख्या 298 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 342 रकबा 0.08 है0, खसरा संख्या 343 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 348 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 349 रकबा 0.23 है0, खसर संख्या 350 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 463 रकबा 0.37 है0, खसरा संख्या 486 रकबा 0.44 है0, खसरा संख्या 490 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 500 रकबा 0.11 है0, खसरा संख्या 501 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 502 रकबा 0.37 है0, खसरा संख्या 990 रकबा 0.23 है0, खसरा संख्या 991 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 1009 रकबा 0.43 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 3.85 है0 वाके ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी सहकाश्तकारी की आराजियात है, जो वादी एवं प्रतिवादीगकण संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं होने से कानूनन बंटवारा किया जाना आवश्यक है । वादग्रस्त आराजी के काश्त बाबत् आये दिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर आमादा है इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 30.8.2017 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर वाद में दिनांक 2.5.2018 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने दौराने कैम्प लीडी में निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट कोू प्रकरण के बाबत् विधिक जानकारी दिये तथा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव बाबत् तहसीलदार से बतौर निर्णय की पालना बाबत् आदेशित किया था इसके बावजूद बरवक्त विभाजन प्रस्ताव बंटवारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाये गये जिसका अधी0न्याया0 ने बिना अवलोकन किये कैम्प के दौरान अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि बरवक्त विभाजन प्रस्ताव सभी खातेदारों को नोटिस देकर आराजी की भौतिक स्थिति एवं अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का प्रस्ताव दोनों पक्षों की मौजूदगी में तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने आर0आर0डी0 2016 पेज 409 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । तहसीलदार ने बिना पक्षकारों की मौजूदगी के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने खसरा संख्या 990 व 991 के वास्तविक भैतिक कब्जे के विरूद्ध जाकर प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है । जब अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2017 ही विधिविरूद्ध है तो उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 2.5.2018 भी विधिसम्मत् नहीं मानी जा सकती है । अतः अपील

अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2016 पेज 409, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1147, आर0बी0जे0 2004 (11) पेज 286, आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 758, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 648, आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 588, सुप्रीम कोर्ट पेज 1993, आर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1143, आर0बी0जे0 1999 (6) पेज 426, आर0आर0डी0 1996 पेज 535, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 18, आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 394, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 972, आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 973 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.5.2018 से पूर्व प्रस्तुत राजस्व वाद में प्रार्थी/अपीलांट को विधिक सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को निर्णय के समय नहीं हो सकी थी । उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थीगण को पटवारी हल्का से राजस्व अभिलेख लेने बाबत् दिनांक 13.9.2019 को संपर्क करने पर हुई । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 18.9.2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अभिभाषक नियुक्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी एवं काश्तकारी की आराजियात है जो अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पक्षकारान को सुनकर अंतिम डिक्री पारित की है । अंतिम डिक्री पारित करते समय अपीलांटस ने बंटवारा प्रस्ताव से सहमत होकर अधी0न्याया0 की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये है । इसलिये अपीलांटस यह नहीं कह सकते कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1999 पेज 152, 173, 389 एवं आर0आर0डी0 1983 पेज 676 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रकरण को तकीनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । उक्त सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाता है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा बंटवारा प्रस्ताव करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया है जिससे उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय

व अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 2.5.2018 को वाद में तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 2.5.2018 में स्वंय अपीलांट हरदेव के हस्ताक्षर है तथा अधी0न्याया0 द्वारा कुरेजात रिपोर्ट पर उभयपक्ष ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने का निवेदन किये जाने का अंकन है । यदि अपीलांट को कुरेजात रिपोर्ट से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज प्रस्तुत करना चाहिये था । यद्यपि मौका रिपोर्ट दिनांक 26.4.2018 तैयार करते समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं थे किन्तु उक्त रिपोर्ट अधी0न्याया0 में प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः रामदेव व हरदेव/अपीलांट ने अधी0न्याया0 की आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने बाबत् अपनी सहमति प्रदान की है । यदि अपीलांट को कुरेजात रिपोर्ट बाबत् कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज प्रस्तुत करना चाहिये था । अधी0न्याया0 के निर्णय व अंतिम डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 2.5.2018 पक्षकारान की सहमति से पारित की गई है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 2.5.2018 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 2.5.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर